

श्री/श

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उप
सुना गया। प्रार्थी द्वारा मूल
दावा विद्वांशर लिया है। अतः प्रार्थी
समर्थित होने के कारण खारिज किया
जाता है। पूर्व में जारी न. 1. खारिज
की जाती है। पत्रावली दारिद्र्य
दफ्तर में।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)